दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय उद्घोषित्: 03.07.2024

<u>ले.पे.अ. 535/2022, सि.वि. संख्या 40651/2022, 40652/2022 और 17426/2023</u>

यशपाल सिंह जडेजा ..... अपीलार्थी

बनाम

अखिल भारतीय तकनीकी
शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

<u>इस मामले में पेश हुए अधिवक्ता:</u>

अपीलकर्ता के लिए	:	व्यक्तिगत रूप सेअपीलकर्ता
प्रत्यर्थी के लिए	:	श्री अनिल सोनी, कें.स.व.अ. और श्री देवव्रत यादव, अधिवक्ता
		श्री तनवीर अहमद अंसारी, भारत संघ के वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता

कोरम

माननीय न्यायमूर्ति श्री विभु बाखरू

माननीय सुश्री न्यायमूर्ति तारा वितास्ता गंजू

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. विभु बाखरू</u>,

1. अपीलकर्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 04.07.2022 (इसके बाद *आक्षेपित आदेश*) के आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान आंतर-न्यायालय अपील दायर की है, जिसके अधीन अपीलकर्ता द्वारा दायर *यशपाल सिंह जडेजा और अन्य बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) और अन्य* शीर्षक वाली रिट याचिका [रि.या.(सि) सं. 4059/2019] को बर्खास्त कर दिया गया था। अपीलकर्ता और पांच अन्य समान रूप से रखे गए व्यक्तियों (इसके बाद याचिकाकर्ताओं के रूप में संदर्भित) ने उपरोक्त रिट याचिका दायर की थी, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* प्रत्यर्थी सं. 1 - अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (इसके बाद *एआईसीटीई*) द्वारा दिनांक 31.10.2017 को प्रकाशित सार्वजनिक नोटिस विज्ञापन संख्या पी एंड एपी/10 (04) / 2017 (इसके बाद *आक्षेपित सार्वजनिक नोटिस*) को चुनौती दी गई थी जिसके द्वारा उन संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए समानता को मान्यता देने के निर्णय को प्रचारित किया गया था, जो भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय [*एमएचआरडी* - अब शिक्षा मंत्रालय (*एमओई*)] द्वारा 31.05.2013 तक विधिवत मान्यता प्राप्त हैं।

2. उपरोक्त रिट याचिका में दायर एक बाद के आवेदन में, याचिकाकर्ताओं ने 23.11.2020 के एक परिपत्र को भी चुनौती दी थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि 31.05.2013 से पहले संस्थानों में नामांकित छात्रों के संबंध में योग्यता को मान्यता देने का एआईसीटीई का निर्णय इस संबंध में एमएचआरडी के निर्णय पर आधारित था।

तथ्यात्मक संदर्भ

3. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) (इसके बाद *आईईआई*) की स्थापना वर्ष 1920 में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने के लिए की गई थी। वर्ष 1928 में, आईईआई ने भारत में एक अनौपचारिक इंजीनियरिंग कार्यक्रम शुरू किया और कोर इंजीनियरिंग विषयों में खंड क और ख परीक्षा आयोजित करना शुरू कर दिया। *आईईआई* को 1935 में भारत में इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग विज्ञान और उनके अनुप्रयोग की व्यापक उन्नति को बढ़ावा देने और इन विषयों पर जानकारी और विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए रॉयल चार्टर प्रदान किया गया था। कथित उद्देश्य के लिए, आईईआई इंजीनियरिंग विषय में शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए कॉलेज, स्कूल और अन्य शैक्षणिक प्रतिष्ठान स्थापित कर सकता है। भारत सरकार, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के दिनांक 16.08.1978 की अधिसूचना संख्या

एफ.184/78-टी.7 और दिनांक 16-01-2006 की अधिसूचना संख्या एफ.24-6/2002-टीएसआई (ख) ने आईईआई (इसके बाद एएमआईई पाठ्यक्रम) द्वारा आयोजित खंड क और ख परीक्षाओं के पंद्रह पाठ्यक्रमों को केन्द्र सरकार में भर्ती और पदोन्नति के प्रयोजनार्थ इंजीनियरी में डिग्री के समतुल्य माना था।

4. एआईसीटीई की स्थापना वर्ष 1945 में भारत में तकनीकी शिक्षा के समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एक सरकारी संकल्प द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (इसके बाद एआईसीटीई अधिनियम) के अधिनियमन द्वारा एआईसीटीई को वैधानिक दर्जा दिया गया था।

5. दिनांक 10.07.2012 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आईईआई द्वारा आयोजित एएमआईई पाठ्यक्रमों - खंड क और ख परीक्षाओं में पंद्रह पाठ्यक्रमों को मान्यता देने के संबंध में एफ.सं 11-15/2011-एआर (टीएस-II) नामक एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया। भारत सरकार ने अपना निर्णय सूचित किया कि पाठ्यचर्या, कार्यक्रम की डिलीवरी की विधि और इसकी अवधि की समीक्षा संबंधित विनियामक द्वारा की जाएगी और समीक्षा पूरी होने तक स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थाओं को नए सिरे से प्रवेश न देने का निर्देश दिया

गया था। उक्त कार्यालय ज्ञापन (इसके बाद *दिनांक 10.07.2012 के कार्यालय ज्ञापन* के रूप में भी संदर्भित) नीचे दिया गया है:

"शास्त्री भवन, न्यू दिल्ली-110115
दिनांक 10 जुलाई, 2012

सेवा में,

माननीय सचिव,
इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत)
8 गोखले रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

विषय: इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत), 8 गोखले रोड, कोलकात द्वारा आयोजित खंड क और ख परीक्षा के 15 पाठ्यक्रमों की मान्यता के

संबंध में

मान्यवर,

कृपया इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत), 8 गोखले रोड, कोलकाता द्वारा आयोजित खंड क और ख परीक्षा के 15 पाठ्यक्रमों को मान्यता देने के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 16.01.2006 की अधिसूचना 24-6/2002टीएस.III और सम संख्या वाली दिनांक 10.12.2007 की आगे की अधिसूचना देखें। निर्णय लिया गया है कि पाठ्यक्रम की समीक्षा, कार्यक्रम के वितरण का

तरीका, इसकी अवधि, आदि की समीक्षा संबंधित नियामक द्वारा की जाएगी और जब तक ऐसी समीक्षा पूरी नहीं हो जाती, स्थायी मान्यता वाले संस्थान नए प्रवेश नहीं करेंगे। वैकल्पिक रूप से, संस्था के पास राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक योग्यता ढांचे (एनवीईक्यूएफ) के साथ अपने पाठ्यक्रम को फिर से संगठित करने और आगे बढ़ने का विकल्प है।

यह मुद्दा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उठाया गया है।

भवदीय,

हस्ताक्षर/-
(आर.के. महेश्वरी)
भारत सरकार के अवर सचिव"

6. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आईईआई के लिए अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक योग्यता फ्रेमवर्क (एनवीईक्यूएफ) के साथ संरेखित करना संभव नहीं था क्योंकि यह व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान नहीं करता था। इस प्रकार आईईआई ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया जिसमें दिनांक 10.07.2012 के कार्यालय ज्ञापन को वापस लेने अथवा उसमें संशोधन करने के विकल्प के रूप में अनुरोध किया गया। अपीलकर्ता ने यह भी कहा कि उपरोक्त अधिसूचना को वापस लेने के लिए इसी तरह के अभ्यावेदन अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किए गए थे।

7. तत्पश्चात्, दिनांक 06.12.2012 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 10.07.2012 के कार्यालय ज्ञापन को वापस लेते हुए एक अन्य कार्यालय ज्ञापन जारी किया। इसमें यह भी विनिदष्ट किया गया था कि दिनांक 31.05.2013 तक स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में नामांकित सभी छात्र केन्द्र सरकार की नौकरियों में अपने पाठ्यक्रम अथवा समतुल्यता के संबंध में प्रवृत्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन/आदेश के अनुसार विचार किए जाने के पात्र होंगे परंतु उक्त आदेश दिनांक 01.06.2013 से प्रभावी नहीं रहेंगे। दिनांक 06.12.2012 का कार्यालय ज्ञापन (जिसे इसके बाद *आक्षेपित कार्यालय ज्ञापन* भी कहा गया है) नीचे दिया गया है:

"शास्त्री भवन, न्यू दिल्ली-110115
दिनांक: 06.12.2012

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

दिनांक 10.07.2012 के 11-15/2011-एआर (टीएस.II) के संशोधन में और संक्रमण अवधि के दौरान संस्थानों को सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:

(i) केन्द्र सरकार की नौकरी में समतुल्यता के लिए शाश्वत रूप से मान्यता के मामलों के संबंध में दिनांक

10.07.2012 के उपर्युक्त आदेश को वापस लिया जाता है।

(ii) वे सभी छात्र जो 31.05.2013 तक स्थायी मान्यता वाले संस्थानों के साथ नामांकित हैं, केंद्र सरकार की नौकरियों में समतुल्यता के लिए अपने पाठ्यक्रम से संबंधित एमएचआरडी कार्यालय ज्ञापन/आदेश के अनुसार विचार के लिए पात्र होंगे। तथापि, ये संबंधित आदेश दिनांक 01.06.2013 से प्रभावी नहीं रहेंगे।

(iii) 31.05.2013 के बाद, नियामक यानी एआईसीटीई द्वारा समीक्षा के आधार पर, डिग्री/डिप्लोमा के समकक्ष प्रमाणन को जारी रखने पर निर्णय वैधानिक नियामक द्वारा लिया जाएगा।

(iv) सांविधिक विनियामकों को अपनी संविधि और विनियमों के अनुसार नए प्रस्तावों/विस्तारों की समीक्षा करनी चाहिए।

2. यदि संस्थान एनवीईक्यूएफ के साथ पाठ्यक्रम को पुनर्संरेखित करने का विकल्प चुनना चाहता है, तो इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए 30.05.2013 तक इस संक्रमण अवधि का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(आर.के. महेश्वरी)
भारत सरकार के अवर सचिव"

8. आक्षेपित कार्यालय ज्ञापन से व्यथित होकर, आईईआई ने इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमें आक्षेपित कार्यालय ज्ञापन का विरोध किया गया। दिनांक 31.05.2013 के आदेश द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उस मामले (आईईआई) में याचिका दायर करने वालों के संबंध में 31.05.2013 की समय सीमा के संबंध में आक्षेपित कार्यालय ज्ञापन के संचालन पर रोक लगा दी। हालांकि, यह मामले के अंतिम परिणाम के अधीन था। रिट याचिका (सि) संख्या 3790/2013 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 31.05.2013 को पारित आदेश का प्रभावी भाग नीचे दिया गया है:

> "1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका रि.या.(सि) 3334/2013 और रि.या.(सि) 945/2013 के समान है, जिसमें उक्त मामलों में नोटिस जारी करते समय इस न्यायालय ने निर्देश दिया था कि केवल 31.05.2013 की समय सीमा वाले याचिकाकर्ताओं से सम्बंधित 06.12.2012 का कार्यालय ज्ञापन अगली तिथि तक रोक दिया जाएगा और आगे किए जाने वाले प्रवेश अंतिम आदेशों के अधीन होंगे, जिसे रिट याचिका के रूप में पारित किया जा सकता है।
>
> 2. प्रत्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि याचिका क्यों नहीं स्वीकार की जाए। आवेदन में भी नोटिस दिया गया। प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता नोटिस स्वीकार करते हैं। प्रत्यर्थी सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी सं. 3 अस्तित्व में नहीं है और

यूजीसी इस मामले में आवश्यक और उचित पक्ष है। तदनुसार, जैसा कि प्रार्थना की गई है, प्रत्यर्थी संख्या 2 को पक्षकारों की सरणी से हटा दिया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा पक्षकारों का संशोधित ज्ञापन दायर किया जाए। याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान कार्यवाही में यूजीसी को एक पक्ष के रूप में शामिल करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

3. केवल 31.05.2013 की समय सीमा वाले याचिकाकर्ताओं से सम्बंधित 06.12.2012 का कार्यालय ज्ञापन अगली तिथि तक के लिए रोका जाता है, हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि जो प्रवेश किए गये हैं, वे अंतिम आदेशों के अधीन होंगे, जो रिट याचिका में पारित किए जाएंगे।

4. दिनांक 06.08.2013 को सूचीबद्ध, जब रिट याचिका (सि) 3334/2013 और रि.या. (सि) 945/2013 भी सूचीबद्ध है।

5. इस आदेश की एक प्रति कोर्ट मास्टर के हस्ताक्षर के साथ पक्षकारों के अधिवक्ता को दी जाए।"

9. अपीलकर्ता का कहना है कि वह वर्ष 2013 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पाठ्यक्रम (एएमआईई पाठ्यक्रम में से एक) में शामिल हुआ और वर्ष 2018 में इसे पूरा किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि लगभग 16000 व्यक्तियों (रि.या. (सि) संख्या 4059/2019 में याचिकाकर्ताओं सहित) ने 31.05.2013 के बाद आईईआई के साथ एएमआईई पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया था।

10. जबकि इस न्यायालय में आईईआई द्वारा दायर याचिका रि.या. (सि) संख्या 3790/2013 लंबित थी, एआईसीटीई ने आक्षेपित सार्वजनिक नोटिस

प्रकाशित किया। आक्षेपित सार्वजनिक सूचना के अनुसार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने परिषद द्वारा अपनी 52वीं आपात बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में सूचना का प्रसार किया कि अर्हता में समतुल्यता की मान्यता केवल उन व्यक्तियों को दी जाए जो उन तकनीकी संस्थाओं में नामांकित थे जिन्हें 31.05.2013 तक स्थायी मान्यता प्रदान की गई थी। आक्षेपित सार्वजनिक सूचना नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है:

"सार्वजनिक सूचना
(तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले व्यावसायिक
निकायों/संस्थानों के लिए)

जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने एक आदेश (दिनांक 06.12.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11-15/2011-एआर (टीएस.II) के माध्यम से) द्वारा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक निकायों/संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए सभी प्रमाणपत्रों/योग्यताओं को दी गई मान्यता वापस ले ली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आगे यह निर्धारित किया कि दिनांक 01.06.2013 से केन्द्र सरकार में रोजगार के लिए समतुल्यता हेतु पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएंगे और डिग्री/डिप्लोमा के समतुल्य प्रमाणन को जारी रखने का निर्णय समीक्षा के बाद सांविधिक विनियामक (एआईसीटीई) द्वारा लिया जाएगा।

तदनुसार, परिषद ने 03 अगस्त, 2017 को आयोजित अपनी 52वीं आपात बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त विभिन्न

व्यावसायिक निकायों/संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए उच्च शिक्षा और रोजगार सहित सभी उद्देश्यों के लिए समतुल्यता को मान्यता देने का निर्णय लिया। इस प्रकार, वे सभी विद्यार्थी जो दिनांक 31.05.2013 तक इन संस्थाओं में स्थायी मान्यता के साथ नामांकित थे, मान्यता प्राप्त हैं।

<u>विज्ञापन संख्या पी एंड एपी/10(04)/2017</u>

सदस्य सचिव"

11. याचिकाकर्ताओं ने उक्त आक्षेपित नोटिस से व्यथित होकर इस न्यायालय में एक याचिका [रि.या. (सि) सं. 4059/2019] दायर की, जिसमें आक्षेपित सार्वजनिक नोटिस को भेदभावपूर्ण और मनमाना बताया गया। याचिकाकर्ताओं (अपीलकर्ता सहित) ने *अन्य बातों के साथ-साथ* प्रार्थना की कि 31.05.2013 की समय सीमा को रद्द करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं। इसके अलावा, उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि प्रत्यर्थीगण को उनके द्वारा दिए जाने वाले एएमआईई पाठ्यक्रमों को रोजगार की डिग्री के बराबर मान्यता देने के निर्देश दिए जाए।

12. जब तक उक्त याचिका लंबित थी, उच्चतम न्यायालय ने माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील को खारिज करते हुए ***इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (भारत) बनाम पंजाब राज्य*** मामले में निर्णय दिया, जिसमें कहा गया था कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल

इंजीनियर्स (भारत) द्वारा दिया गया सदस्यता प्रमाण पत्र इंजीनियरिंग में डिग्री के बराबर नहीं है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया, पर दिनांक 31.05.2013 से पूर्व इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (भारत) में नामांकित छात्रों को आक्षेपित कार्यालय ज्ञापन और आक्षेपित सार्वजनिक सूचना का हवाला देते हुए सीमित राहत प्रदान की।

13. ***इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (भारत) बनाम पंजाब राज्य*** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं द्वारा आक्षेपित आदेश द्वारा दायर याचिका [रि.या. (सि) संख्या 4059/2019] को खारिज कर दिया।

14. अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की है, *जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ* आक्षेपित आदेश को रद्द करने की माँग की गई है। इसके अलावा, अपीलकर्ता आक्षेपित सार्वजनिक नोटिस के साथ-साथ दिनांक 23.11.2020 के परिपत्र को भी चुनौती देता है।

प्रस्तुतियाँ

15. अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ और मौखिक प्रस्तुतियाँ दीं। वह मुख्य रूप से दो आधारों पर आक्षेपित आदेश पर बहस करता है। सबसे पहले, उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मानने में गलती की थी कि *इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (भारत)बनाम पंजाब*

राज्य में उच्चतम न्यायालय का निर्णय रिट याचिका [रि.या. (सि) संख्या 4059/2019] में उठाई गई चुनौती को कवर करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आईईआई एक वैधानिक निकाय नहीं था और इसलिए, इसके द्वारा जारी सदस्यता का प्रमाण पत्र इंजीनियरिंग में डिग्री के बराबर के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं था। उन्होंने ***करतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य*** के निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा था कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (भारत), मुंबई की सदस्यता को आईईआई के सदस्यों के बराबर नहीं कहा जा सकता है, जिसे एक क़ानून के अधीन स्थापित किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्चतम न्यायालय ने *इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (भारत) बनाम पंजाब राज्य* मामले में निर्णय उक्त अपीलकर्ता द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के संबंध में दिया गया था, जो किसी कानून के अधीन स्थापित नहीं किया गया था और आईईआई के बराबर नहीं था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित का.ज्ञा.और आक्षेपित सार्वजनिक नोटिस का केवल संदर्भित किया जाना उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे मान्य ठहराना नहीं माना जा सकता है।

16. दूसरा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि जहाँ तक आक्षेपित कार्यालय ज्ञापन (दिनांक 06.12.2012 का कार्यालय ज्ञापन) में समय सीमा दिनांक 31.05.2013 तक करने का सम्बन्ध है, वह रि.या. (सि) सं. 3790/2013 में

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 31.05.2013 के स्थगन आदेश के कारण अप्रवर्तनीय है। उन्होंने दावा किया कि वह और साथ ही कई अन्य व्यक्तियों ने उक्त स्थगन आदेश के बल पर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया था और इसलिए यह आवश्यक था कि उनके द्वारा प्राप्त योग्यता इंजीनियरिंग की डिग्री के बराबर मानी जाए। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि 31.05.2013 के बाद की अवधि के लिए आक्षेपित कार्यालय ज्ञापन ***इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (भारत) बनाम पंजाब राज्य*** (*उपरोक्त)* में उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील का विषय नहीं था और इसलिए उक्त मामले में आक्षेपित कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ प्रासंगिक नहीं था।

कारण और निष्कर्ष

17. शुरुआत में, अपीलकर्ता और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिका [रि.या. (सि) संख्या 4059/2019] के दायरे पर ध्यान देना प्रासंगिक है। याचिकाकर्ताओं ने सार्वजनिक नोटिस को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह दिनांक 31.05.2013 के स्थगन आदेश के विपरीत था। यह तर्क दिया गया है कि स्थगन आदेश के आधार पर, इंजीनियरिंग में डिग्री के लिए एएमआईई पाठ्यक्रम की समतुल्यता को समाप्त करने के लिए 31.05.2013 की समय सीमा पर रोक लगा दी गई थी और आईईआई को एएमआईई पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश देने से रोका नहीं गया

था। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इंजीनियरिंग के विषयों में योग्यता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त विकल्पों के अभाव में, लगभग 60000 व्यक्तियों (याचिकाकर्ताओं सहित) ने रि.या. (सि) संख्या 3790/2013 में दिए गए दिनांक 31.05.2013 के स्थगन आदेश के अनुसार एएमआईई पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन किया था। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे सार्वजनिक नोटिस को देखकर हैरान थे, जिससे एएमआईई पाठ्यक्रम को दिए गए प्रमाणन के लिए समानता की मान्यता केवल उन छात्रों तक ही सीमित थी, जिन्होंने 31.05.2013 से पहले आईईआई के साथ दाखिला लिया था। उनका दावा है कि सार्वजनिक नोटिस दिनांक 31.05.2013 में न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सीधे विरोध में है।

18. याचिकाकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत हैं और उनका दावा है कि यह सार्वजनिक नोटिस उनके रोजगार और पदोन्नति की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। वे यह भी दावा करते हैं कि 31.05.2013 से पहले नामांकित छात्रों और उसके बाद नामांकित छात्रों के बीच अंतर भेदभावपूर्ण है क्योंकि 31.05.2013 के बाद नामांकित छात्रों ने भी वही पाठ्यक्रम किया है, जो 31.05.2013 से पहले नामांकित छात्रों द्वारा किया गया था, क्योंकि पाठ्यक्रम को संशोधित नहीं किया गया है।

19. इस प्रकार, अनिवार्य रूप से, संबोधित किए जाने वाले तीन प्रश्न हैं। पहला, क्या रि.या. (सि) संख्या 3790/2013 में पारित दिनांक 31.05.2023 के

अंतरिम आदेश के आधार पर, याचिकाकर्ता इंजीनियरिंग में डिग्री के समकक्ष इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (इसके बाद *एएमआईई*) के एसोसिएट सदस्य की योग्यता को मान्यता देने के हकदार हैं। दूसरा, क्या 31.05.2013 के बाद नामांकित याचिकाकर्ताओं (और अन्य व्यक्तियों) को योग्यता की समतुल्यता से इनकार करना भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और तीसरा, क्या एएमआईई की योग्यता को इंजीनियरिंग में डिग्री के बराबर माना जा सकता है, इस बात के बावजूद कि एआईसीटीई को 31.05.2013 के बाद ऐसी कोई समतुल्यता नहीं दी गई है।

20. विद्वान एकल न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला था कि याचिका में उठाए गए मुद्दों को ***इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (भारत) बनाम पंजाब राज्य*** *(उपरोक्त)* में उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा कवर किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता ने उक्त निष्कर्ष पर मुख्य रूप से इस आधार पर आक्षेप किया है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (भारत) को आईईआई के बराबर नहीं माना जा सकता क्योंकि आईईआई की स्थापना रॉयल चार्टर द्वारा की गई थी।

21. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता ने यह भी तर्क दिया था कि उक्त निर्णय में आक्षेपित का.ज्ञा. के संदर्भ का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय ने इसे मान्य माना।

22. उक्त तर्क अनुपयुक्त प्रतीत होता है। ***इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (भारत) बनाम पंजाब राज्य*** *(उपरोक्त)* में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पढ़ने से संकेत मिलता है कि उक्त निर्णय एआईसीटीई की भूमिका की जांच और डिग्री के लिए योग्यता की समतुल्यता प्रदान करने के लिए एमएचआरडी की शक्तियों पर निर्भर था।

23. ***उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड बनाम रबी शंकर पात्रो और अन्य: (2018) 1 एससीसी 468*** में उच्चतम न्यायालय ने एआईसीटीई के खंड 4 [नए तकनीकी संस्थान शुरू करने के लिए मंजूरी का अनुदान, पाठ्यक्रम या कार्यक्रमों की शुरुआत और पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के लिए सीटों की प्रवेश क्षमता का अनुमोदन (1994 एआईसीटीई विनियम)] का उल्लेख किया था और माना था कि एआईसीटीई एकमात्र प्राधिकरण था जो "तकनीकी शिक्षा" के लिए गुणात्मक मानदंडों के मापदंडों को निर्धारित कर सकता था।

24. ***इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (भारत) बनाम पंजाब राज्य*** *(उपरोक्त)* में उच्चतम न्यायालय ने उक्त कानूनी स्थिति को दोहराया था, जैसा कि उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 36,37,38,39 और 40 से स्पष्ट है। वही नीचे दिया गया है-

> "36. अपने शब्दों में, अपीलकर्ता "कोई शिक्षा प्रदान नहीं करता है, लेकिन केवल द्वि-वार्षिक परीक्षा और प्रमाण पत्र

पुरस्कार आयोजित करता है"। पैरा 31 में संदर्भित संकलन भी स्थिति को स्पष्ट करता है कि अपीलकर्ता "परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की मदद करने वाले किसी भी कोचिंग क्लास या स्थानीय केंद्रों को मान्यता, अनुमति नहीं देता और न ही उन्हें संचालित करता है"।

37. *उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम मामले में* [*उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड बनाम रबी शंकर पात्रो और अन्य।*, (2018) 1 एससीसी 468] उक्त निर्णय के पैरा 45 में विचार के लिए दो प्रश्न रखे गए थे और उन दो प्रश्नों में से पहला निम्नानुसार था: (एससीसी पीपी 532-33)

> "क. क्या वर्तमान मामले में संबंधित सम-विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उन विषयों में पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं जिनके परिणामस्वरूप इंजीनियरी में डिग्री प्रदान की जाती है;
>
> (क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से तकनीकी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए कोई मानदण्ड अथवा दिशा-निर्देश निर्धारित किए बिना कोई निर्णय लिया गया है?
>
> (ख) एआईसीटीई अधिनियम के अधीन पूर्व स्वीकृति लिए बिना ?"
>
> निर्णय के पैरा 46 और 48 में दिखाई देने वाली उस सम्बन्ध में चर्चा यह थी: (एससीसी पीपी 533-35)
>
> "*46.* एआईसीटीई अधिनियम की धारा 2 (छ) में "तकनीकी शिक्षा" की परिभाषा से पता चलता है कि सामान्य रूप से इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में

शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है और यह विचार उन संस्थानों तक सीमित नहीं है जहां शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के ऐसे कार्यक्रम संचालित या प्रदान किए जाते हैं। हालांकि, धारा 2 (ज) में "तकनीकी संस्थान" की परिभाषा में एक संस्थान को छोड़ दिया गया है जो विश्वविद्यालय है। “तकनीकी शिक्षा” की व्यापक अवधारणा और "तकनीकी संस्थान" के सीमित दायरे के बीच का अंतर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम की धारा 10 से स्पष्ट है जिसके अनुसार कुछ कार्य तकनीकी शिक्षा के व्यापक पहलुओं या आयामों से संबंधित हैं जो स्वरुप से प्रत्येक संस्था (चाहे विश्वविद्यालय हो या नहीं) पर लागू होने चाहिए जहां ऐसे पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं या प्रदान किए जाते हैं। इसी समय, कुछ कार्य सिर्फ तकनीकी संस्थानों से संबंधित हैं, जो परिभाषा के अनुसार विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, खंड (*क*), (*ख*), (*घ*), (ङ), (*च*), (*ठ*) और (*ढ*) में कार्य तकनीकी शिक्षा के व्यापक पहलुओं से संबंधित हैं, जबकि खंड (*ट*), (*ड*), (*त*) और (*थ*) तकनीकी संस्थानों से संबंधित मामलों से निपटते हैं और इसलिए विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं हो सकते हैं, जबकि खंड (*छ*) और (*ण*) में निर्धारित कुछ कार्य हैं जो तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले "तकनीकी संस्थानों" और "विश्वविद्यालयों" दोनों पर लागू होते हैं। *धारा 10 के खंड (ग*), (*घ*) और (*च*)

विषयों से संबंधित हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ, सभी स्तरों पर देश में तकनीकी शिक्षा का समन्वय; विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवाचार, अनुसंधान, विकास, नई प्रौद्योगिकियों की स्थापना, उत्पादन, अपनाने और अनुकूलन को बढ़ावा देना; और तकनीकी शिक्षा और प्रणालियों और अन्य प्रासंगिक प्रणालियों के बीच की परस्परता को बढ़ावा देना और प्रभावित करना शामिल है। अतः अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तकनीकी शिक्षा के लिए मानक अथवा गुणात्मक मानदंड निर्धारित करने की शक्ति का एकमात्र स्रोत है। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु क्या होनी चाहिए, कौन से विषय पढ़ाए जाने चाहिए और पाठ्यक्रमों की अवधि और समय क्या होना चाहिए तथा उन पाठ्यक्रमों को संचालित करने का तरीका क्या होना चाहिए, यह तकनीकी शिक्षा की वृहत्तर अवधारणा का एक हिस्सा है। उस क्षेत्र में कोई भी विचार या खोज भी तकनीकी शिक्षा की अवधारणा का हिस्सा है और सिद्धांत रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए।

***

48. इंजीनियरी में डिग्री प्रदान करने के लिए तकनीकी शिक्षा में सिद्धांत के साथ-साथ प्रैक्टिकल में पाठ प्रदान करना शामिल है। प्रैक्टिकल व्यवहारिक प्रणाली की शिक्षा का आधार बनता है जिसमें प्रदर्शन करने वालों या लेक्चरर

की चौकस आंखों के सामने पढ़ाए गए सिद्धांतों का वास्तविक अनुप्रयोग शामिल है। सिद्धांत कक्षाओं में ज्ञान को मुखामुख प्रदान करने को व्यावहारिक कक्षाओं में सुदृढ़ किया जाता है। इस प्रकार, तकनीकी शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग प्रैक्टिकल है। यदि तकनीकी शिक्षा को गुणात्मक मानदंड के रूप में प्रदान करने की इस स्थापित अवधारणा को संशोधित या परिवर्तित किया जाना है और किसी दिए गए मामले में दूरस्थ शिक्षा शिक्षा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है, तो एआईसीटीई को इसे स्पष्ट शब्दों में एक अवधारणा के रूप में स्वीकार करना चाहिए था। यदि तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के नियमित पाठ्यक्रम को किसी भी तरह से संशोधित या परिवर्तित किया जाना है, तो किन मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए, इसका निर्णय एआईसीटीई को ही करना है। निर्णय विशिष्ट और सुस्पष्ट होना चाहिए और सिर्फ इसलिए कि इस मामले में कोई भी दिशानिर्देश नहीं है, इसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। एआईसीटीई द्वारा कभी भी ऐसा कोई निर्णय व्यक्त नहीं किया गया था। दूसरी ओर, हमेशा यह कहा गया है कि इंजीनियरिंग में डिग्री तक पहुंचने वाले पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से नहीं किए जा सकते हैं। यह दृष्टिकोण सही है या नहीं, यह मुद्दा नहीं है। वर्तमान उद्देश्यों के लिए, यदि एआईसीटीई के अनुसार ऐसे पाठ्यक्रमों को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में नहीं

पढ़ाया जाना चाहिए, तो यह ही अंतिम और बाध्यकारी है - जब तक कि कानूनी तरीके से सुधार नहीं किया जाता है। यहां तक कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी और प्रबंधकीय शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा अधिगम के माध्यम से लचीले पैटर्न और कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल देते हुए पैरा 619 में निर्धारित किया गया है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद प्रमाणन की समतुल्यता बनाए रखने और तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने सहित मानदंडों और मानकों की आयोजना, निर्माण और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगी। हमारे विचार में, इंजीनियरिंग की डिग्री तक पहुंचने वाले विषयों को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में पढ़ाया जा सकता है या नहीं, यह एआईसीटीई के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। हमारे द्वारा पूछे गए पहले प्रश्न के पहले चरण का उत्तर स्पष्ट है कि एआईसीटीई द्वारा उस संबंध में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से इंजीनियरिंग में डिग्री पाठ्यक्रमों की स्पष्ट अनुमति के बिना ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करना डीम्ड यूनिवर्सिटी का औचित्य नहीं था।

38. 1986 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा में एआईसीटीई की भूमिका पर जोर दिया गया था, जिसे इस न्यायालय ने *उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम मामले* [*उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड]बनाम रबी शंकर पात्रो*, (2018) 1 एससीसी 468] में नोट किया था। अखिल भारतीय तकनीकी

शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 1994 में जारी किए गए संबंधित विनियमों पर भी विचार किया गया था जिनके अधीन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन के बिना किसी भी तकनीकी संस्था द्वारा कोई पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम शुरू नहीं किया जा सकता था। निर्णय के पैरा 23.2 और 23.3 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रासंगिक भागों को लिया गया था और एआईसीटीई से संबंधित विनियम निम्नानुसार हैं: (एससीसी पीपी 497-98)

> "*23.2*. 1986 में, भारत सरकार द्वारा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति प्रकाशित की गई थी, जिसका भाग 6 तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा से संबंधित था, नीति के पैरा 6.6, 6.8 और 6.19 दिए गये हैं-
>
> '**6.6.** तकनीकी और प्रबंधकीय शिक्षा के लिए लोगों के एक बड़े वर्ग की पहुंच को प्रतिबंधित करने वाले औपचारिक पाठ्यक्रमों के लिए वर्तमान कठोर प्रवेश आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, संचार मीडिया के उपयोग सहित दूरस्थ शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। पॉलिटेक्निक में शिक्षा सहित तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा कार्यक्रम भी क्रेडिट पर आधारित लचीले मॉड्यूलर पैटर्न पर होंगे, जिसमें बहु-बिंदु प्रवेश का प्रावधान होगा। मजबूत मार्गदर्शन और परामर्श सेवा प्रदान की जाएगी।
>
> ***
>
> **6.8.** महिलाओं, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों और शारीरिक रूप से विकलांगों को फायदा देने के लिए उपयुक्त औपचारिक और

तकनीकी शिक्षा के अनौपचारिक कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे ।

***

6.19. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसे वैधानिक दर्जा दिया गया है, नियोजन, निर्माण और मानदंडों और मानकों के रखरखाव, प्रत्यायन, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के निधिकरण, निगरानी और मूल्यांकन, प्रमाणन और पुरस्कारों की समानता बनाए रखने और तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। विधिवत रूप से गठित प्रत्यायन बोर्ड द्वारा अनिवार्य आवधिक मूल्यांकन किया जाएगा। परिषद को मजबूत किया जाएगा और यह राज्य सरकारों और अच्छी गुणवत्ता वाले तकनीकी संस्थानों की अधिक भागीदारी के साथ विकेंद्रीकृत तरीके से कार्य करेगी।

23.3. एआईसीटीई (नए तकनीकी संस्थान शुरू करने के लिए अनुमोदन का अनुदान, पाठ्यक्रम या कार्यक्रमों की शुरुआत और पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के लिए सीटों की प्रवेश क्षमता का अनुमोदन) विनियम 1994 (संक्षेप में "1994 एआईसीटीई विनियम") में जारी किए गए थे। इन विनियमों का खंड 4 इस प्रकार था-

'**4.0.** अनुमोदन प्रदान करने की शर्तें

4.1. इन नियमों के प्रारम्भ के बाद,

(क) कोई नया तकनीकी संस्थान या विश्वविद्यालय तकनीकी विभाग शुरू नहीं किया जाएगा; अथवा

(ख) किसी भी तकनीकी संस्था, विश्वविद्यालय द्वारा, जिसमें डीम्ड विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय विभाग या कॉलेज शामिल हैं, कोई पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू नहीं किया जाएगा; अथवा

(ग) कोई भी तकनीकी संस्थान, विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय विभाग या कॉलेज डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के लिए छात्रों को प्रवेश करना जारी नहीं रखेगा;

(घ) सीटों की कोई अनुमोदित प्रवेश क्षमता बढ़ाई या परिवर्तित नहीं की जाएगी;

सिवाय उस स्थिति के जहाँ परिषद का अनुमोदन हो।"

39. <u>उक्त निर्णय में यह निर्धारित किया गया था कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तकनीकी शिक्षा के लिए मानदंड अथवा गुणात्मक मानदंड निर्धारित करने की शक्ति का एकमात्र स्रोत है</u> और यह निर्धारित करना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है कि क्या इंजीनियरी में डिग्री प्राप्त करने वाले विषयों को दूरस्थ शिक्षा पद्धति में पढ़ाया जा सकता है या नहीं। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई कि क्या इंजीनियरिंग में डिग्री तक के पाठ्यक्रमों को दूरस्थ शिक्षा शिक्षा के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। यह निर्धारित किया गया था कि स्वाभाविक रूप से व्यावहारिक प्रशिक्षण इंजीनियरी

पाठ्यक्रमों का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग होगा और जब तक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्पष्ट नीति नहीं बनाई जाती, तब तक इंजीनियरी का कोई भी पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से पढ़ाया या प्रदान नहीं किया जा सकता है। यह माना गया कि एआईसीटीई द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इंजीनियरिंग में डिग्री के लिए स्पष्ट रूप से पाठ्यक्रमों की अनुमति देने वाले किसी भी दिशानिर्देश के अभाव में, ऐसा कोई पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया जा सकता है। उक्त निर्णय में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अपनाए गए स्पष्ट दृष्टिकोण को भी नोट किया गया था।

40. प्रश्नगत बिंदु पर फिर से 22.01.2018 के आदेश [*उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड] बनाम रबी शंकर पात्रो*, (2018) 1 एससीसी 468] में विचार किया गया था। पैरा 23 और 24 में और इस बात पर जोर दिया गया कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से इंजीनियरिंग में डिग्री प्रदान करने को एआईसीटीई द्वारा सैद्धांतिक रूप में कभी भी अनुमोदित नहीं किया गया था। अपीलकर्ता दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कोई शिक्षा प्रदान करने का दावा भी नहीं करता है और केवल द्वि-वार्षिक परीक्षा आयोजित करता है और ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को प्रमाण पत्र प्रदान करता है। *उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम* [*उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड] बनाम रबी शंकर पात्रो*, (2018) 1 एससीसी 468] मामले में इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में विचार किया गया। विद्वान न्यायमित्र अपने कहने में सही है कि अपीलकर्ता का मामला उस निर्णय में निपटाए गए डीम्ड विश्वविद्यालयों के मामलों की तुलना में कम गुणागुण का होगा।

25. एआईसीटीई अधिनियम की धारा 2 के खंड (ध) (छ), (ज) और (छ) प्रासंगिक हैं क्योंकि वे क्रमशः "तकनीकी शिक्षा", "तकनीकी संस्थान" और "विश्वविद्यालय" शब्दों को परिभाषित करते हैं। इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया जाता है -

> "(2)(छ) "तकनीकी शिक्षा" का अर्थ ऐसे इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर नियोजन, प्रबंधन, फार्मेसी और अनुप्रयुक्त कला और शिल्प और ऐसे अन्य कार्यक्रम या क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के कार्यक्रम है जो केंद्र सरकार, परिषद के परामर्श से, आधिकारिक राजपत्र द्वारा घोषित करे;
>
> (ज) "तकनीकी संस्था" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय नहीं है जो तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम या कार्यक्रम प्रदान करती है और इसमें ऐसी अन्य संस्थाएँ भी शामिल होंगी जिन्हें केन्द्रीय सरकार, परिषद् के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तकनीकी संस्थाओं के रूप में घोषित करे;
>
> (झ) "विश्वविद्यालय" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 2 के खंड (च) के अधीन परिभाषित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है और इसके

अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 3 के अधीन सम विश्वविद्यालय संस्था भी है।

26. आईईआई, एआईसीटीई अधिनियम की धारा 2 (झ) की परिभाषा के अधीन विश्वविद्यालय नहीं है। यह अपीलकर्ता का मामला नहीं है कि आईईआई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) के अधीन परिभाषित विश्वविद्यालय है या उस अधिनियम की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय माना जाने वाला संस्थान है।

27. यह भी याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि आईईआई को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई है और इस आशय की घोषणा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई है। इस प्रकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम में यथा परिभाषित तकनीकी संस्था की व्यापक परिभाषा के अधीन है।

28. ***इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (भारत) बनाम पंजाब राज्य*** *(उपरोक्त)* में उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त संदर्भ में कहा था कि एमएचआरडी के पास किसी तकनीकी संस्थान से डिग्री के बराबर प्राप्त किसी भी योग्यता की समतुल्यता प्रदान करने की कोई शक्ति नहीं होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था जो एमएचआरडी को ऐसी शक्तियां प्रदान करता हो।

29. ***इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैकेनिकल जीनियर्स (भारत) बनाम पंजाब राज्य*** *(उपरोक्त)* में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार निर्धारित किया गया है: -

> "41. अपीलकर्ता का सुसंगत तर्क यह रहा है कि यह किसी भी अधिनियम अर्थात यूजीसी; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 और एआईसीटीई अधिनियम के अधीन नहीं है। हालांकि, चूंकि यह तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम या कार्यक्रम प्रदान करता है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सही माना गया है, अपीलकर्ता एआईसीटीई अधिनियम में परिभाषित "तकनीकी संस्थान" की परिभाषा के अधीन आता है। न तो अपीलकर्ता अपने आप इंजीनियरिंग में डिग्री प्रदान करता है और न ही यह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थान के रूप में इंजीनियरिंग में डिग्री के लिए अग्रणी पाठ्यक्रमों में छात्रों को तैयार करता है। यद्यपि यह सिद्धांत या व्यावहारिक रूप से कोई निर्देश प्रदान नहीं करता है, यह एक परीक्षा आयोजित करता है, जिसकी संतोषजनक समाप्ति पर यह उम्मीदवारों को सदस्यता का प्रमाण पत्र प्रदान करता है। प्रश्न यह है कि क्या इस तरह के प्रमाण पत्र को कानूनी रूप से किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के बराबर मान्यता दी जा सकती है? कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि किस वैधानिक व्यवस्था के अधीन या किस कानूनी प्रावधान के अधीन अपीलकर्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र के लिए इस तरह की समतुल्यता दी जा सकती है या प्रदान की जा सकती है। किसी भी वैधानिक प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया है या आधार नहीं बनाया गया है जो यह व्यक्त करे कि

विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए और/या, कुछ मापदंडों की संतुष्टि पर अपीलकर्ता इस तरह की समतुल्यता या उपाधि प्रदान करने का हकदार होगा।

42. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22(1) के अनुसार डिग्री प्रदान करने के अधिकार का प्रयोग केवल केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय संस्था अथवा संसद के अधिनियम द्वारा विशेष रूप से डिग्रियां प्रदान करने में सशक्त संस्था द्वारा ही किया जा सकता है। उक्त धारा 22 की उप-धारा (1) में दिखाई देने वाले विचार को उप-धारा (2) द्वारा प्रभावशाली रूप से स्पष्ट किया गया है जो निर्धारित करता है-

> "उप-धारा (1) में प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति या प्राधिकारी किसी भी डिग्री को प्रदान नहीं करेगा अथवा खुद को डिग्री प्रदान करने में सक्षम नहीं दिखायेगा"।

संसद का आशय स्पष्ट है कि केवल वही निकाय जिसे धारा 22 की उपधारा (1) में संदर्भित किया गया है, डिग्री प्रदान करने या प्रदान करने के लिए सक्षम है। अपीलकर्ता यूजीसी अधिनियम की धारा 22 (1) में उल्लिखित इनमें से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है।

43. *उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड बनाम रबी शंकर पात्रो*, (2018) 1 एससीसी 468 में यह भी विचार किया गया कि क्या एक डीम्ड विश्वविद्यालय, उपयुक्त पूर्व अनुमति के

बिना, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इंजीनियरिंग में डिग्री के लिए पाठ्यक्रम शुरू कर सकता है। वर्तमान मामले में यह पहलू नहीं उठता है और यह अपीलकर्ता का मामला भी नहीं है कि वह इंजीनियरिंग में डिग्री प्रदान करने में सक्षम है। बल्कि उनका यह कहना है कि इनके द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों को इंजीनियरिंग में डिग्री के समतुल्य होने का दर्जा प्रदान किया गया है, अपीलकर्ता इस तरह के फायदे या लाभ को जारी रखने का हकदार है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किसी वैधानिक प्रावधान या वैधानिक विनियम या किसी योजना के रूप में अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके अधीन ऐसी समतुल्यता प्रदान की जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता जैसे विभिन्न संस्थानों द्वारा किए गए दावों पर प्रत्येक केस के आधार पर विचार किया गया था और एमएचआरडी द्वारा समतुल्यता प्रदान की गई थी। उनमें से पहला पत्र वर्ष 1976 का था जब एआईसीटीई अधिनियम लागू नहीं था। <u>यदि धारा 22 का अधिदेश धारा 22(1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकार या व्यक्ति को डिग्री प्रदान करने से वंचित करता है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय सहित किसी अन्य को ऐसी समतुल्यता प्रदान करने की कोई शक्ति या प्राधिकार नहीं है</u>।

46. वर्तमान मामले में, दिनांक 26-5-1976 का संचार जिसके अधीन अपीलकर्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र को किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के बराबर माना जाता था, किसी भी वैधानिक प्रावधान को इंगित नहीं करता है जिसके अधीन इस तरह की समानता दी जा सकती है या प्रदान की जा सकती है। यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अखिल भारतीय तकनीकी

> शिक्षा परिषद अधिनियम के लागू होने के बाद तकनीकी शिक्षा से संबंधित संपूर्ण क्षेत्र को संसद द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। एआईसीटीई अधिनियम की धारा 10 एआईसीटीई को न केवल पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रम और "तकनीकी शिक्षा" के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करने का अधिकार देती है, बल्कि खंड (ठ) के अधीन तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी पेशेवर निकाय या संस्थान को अधिकार और विशेषाधिकार आदि देते हुए चार्टर प्रदान करने के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह भी देती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात् शक्तियों के विस्तार को देखते हुए, ऐसे विशेषाधिकार भी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्पष्ट सलाह के बाद ही और विभिन्न वैधानिक उपबंधों की सीमाओं के भीतर ही प्रदान किए जा सकते हैं।
>
> 47. नतीजतन, न तो अपीलकर्ता किसी भी डिग्री को प्रदान करने के हकदार होने के अधिकार के रूप में दावा कर सकता है और न ही यह दावा कर सकता है कि उसके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के बराबर माना जाना चाहिए।

30. इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22(1) का अधिदेश केवल उन्हीं संस्थाओं को डिग्रियां प्रदान करने की शक्ति को सीमित करने के लिए है जो उसमें विनिदष्ट हैं, और इसे किसी तकनीकी संस्था द्वारा जारी प्रमाणपत्र को

समतुल्यता प्रदान करके दरकिनार नहीं किया जा सकता। उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 45 का उल्लेख निम्नानुसार है -

> "45. <u>यदि डिग्री केवल उन संस्थानों द्वारा प्रदान की जा सकती है जो यूजीसी अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) में दिए गए विवरण को पूरा करते हैं, तो अपीलकर्ता द्वारा जारी और प्रदान किए गए प्रमाण पत्र को समतुल्यता प्रदान करके वैधानिक कानून के जनादेश को दरकिनार या रद्द नहीं किया जा सकता है।</u> उस प्रमाणपत्र का महत्त्व क्या है, इस पर प्रत्येक नियोक्ता द्वारा अवसर आने पर विचार किया जाएगा। अपीलकर्ता निश्चित रूप से अपने सदस्यों को सदस्यता का प्रमाण पत्र देने का हकदार होगा। किसी दिए गए मामले में प्रमाणपत्रों का क्या महत्व होना चाहिए, यह प्रत्येक नियोक्ता खुद निर्धारित करेगा। सम्बद्ध नियोक्ता सम्बद्ध उम्मीदवारों की महत्ता और योग्यता पर विचार करते हुए ऐसे प्रमाणपत्रों को यथाउचित महत्व दे सकता है, लेकिन यह कहना कि प्रमाण पत्र किसीडिग्री के बराबर हैं और इस तरह के प्रमाण पत्र रखने वाले सभी उम्मीदवार उन लाभों को प्राप्त करने के हकदार हैं जो एक डिग्री धारक प्राप्त कर सकते हैं, पूरी तरह से एक अलग मुद्दा है।

31. उच्चतम न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि एमएचआरडी इंजीनियरिंग डिग्री के समतुल्य होने की कोई घोषणा नहीं दे सकता है। बहरहाल, उच्चतम न्यायालय ने उन छात्रों को राहत दी, जो उक्त मामले में अपीलकर्ता के साथ नामांकित थे, उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 49 इस प्रकार है -

"49. हालांकि, तथ्य यह है कि अपीलकर्ता द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों की समतुल्यता एमएचआरडी द्वारा एआईसीटीई के परामर्श से 31-5-2013 तक दी गई थी, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी दिनांक 06-12-2012 की अधिसूचना और अगस्त 2017 में एआईसीटीई द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस से स्पष्ट है। ये पत्र यह भी दर्शाते हैं कि वे सभी छात्र जो 31-05-2013 तक नामांकित थे, पाठ्यक्रम में एमएचआरडी कार्यालय ज्ञापन/आदेश के अनुसार विचार किए जाने के पात्र होंगे। यद्यपि हमने यह निर्धारित किया है कि अपीलकर्ता द्वारा अपने सदस्यों को अपनी द्वि-वार्षिक परीक्षा के सफल समापन पर जारी किए गए प्रमाण पत्र को डिग्री के बराबर नहीं माना जा सकता है, 31-05-2013 तक नामांकित छात्रों को अपवाद बनाया जाना चाहिए और दिनांक 06-12-2012 की अधिसूचना और सार्वजनिक सूचना के अनुसार लाभ ऐसे उम्मीदवारों को दिया जाना चाहिए। उम्मीदवारों ने खुद को नामांकित करने का विकल्प चुना था ताकि वे एक ऐसी व्यवस्था के अधीन अपीलकर्ता द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उपस्थित हो सकें, जिसे केंद्र सरकार द्वारा स्वयं लागू किया गया था और पाठ्यक्रम सामग्री के साथ-साथ पाठ्यक्रम की समीक्षा एआईसीटीई द्वारा की गई थी। हालांकि, उपरोक्त अधिसूचना और सार्वजनिक सूचना स्पष्ट थी कि 01.06.2013 के बाद समतुल्यता प्रदान करने वाले संबंधित आदेशों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

32. यह भी ध्यान देने योग्य है कि उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया था कि आक्षेपित का.ज्ञा. इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में चुनौती का विषय था और अंतरिम आदेश पारित किए गए थे। इस प्रकार,

उच्चतम न्यायालय को यह भी पता था कि आक्षेपित कार्यालय ज्ञापन इस न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय था। उपरोक्त पर ध्यान देने के बाद, उच्चतम न्यायालय ने आधिकारिक रूप से कहा कि एमएचआरडी के पास "तकनीकी संस्थान" की योग्यता को डिग्री के बराबर घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है।

33. यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि ***इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (भारत) बनाम पंजाब राज्य*** *(उपरोक्त)* में उच्चतम न्यायालय का निर्णय याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका में उठाए गए मुद्दों को पूरी तरह से कवर करता है।

34. किसी तकनीकी संस्थान द्वारा प्रदान की गई अर्हता की समतुल्यता को इंजीनियरी में डिग्री के रूप में घोषित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास किसी प्राधिकार के अभाव में, आक्षेपित कार्यालय ज्ञापन अथवा आक्षेपित सार्वजनिक सूचना में यथा निर्धारित समय-सीमा के प्रचालन पर रोक लगाकर ऐसी समतुल्यता प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

35. यह तर्क कि एक तकनीकी संस्थान में नामांकित छात्रों को लाभ का अनुदान जिन्हें 31.05.2013 से पहले अनुमति/मान्यता दी गई थी, लेकिन उसके बाद नामांकित छात्रों को उक्त लाभ से वंचित करना भेदभावपूर्ण है, यह भी स्पष्ट रूप से अयोग्य है। यह सुस्पष्ट है कि नकारात्मक समानता की कोई

अवधारणा नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास ऐसी समतुल्यता प्रदान करने का कोई प्राधिकार नहीं है, तथापि, उच्चतम न्यायालय ने आईईआई के साथ नामांकित छात्रों को लाभ 31.05.2013 से पहले प्रदान किए गये थे। स्पष्टतया, तत्पश्चात् नामांकित छात्रों को वही लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे 31.05.2013 के बाद नामांकित छात्रों को समतुल्यता की मान्यता प्रदान नहीं करने के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्णय से स्पष्ट रूप से अवगत होने के कारण पाठ्यक्रमों में शामिल हुए थे। अपीलकर्ता उच्च न्यायालय द्वारा रि.या. (सि) संख्या 3790/2013 में दिए गए अंतरिम आदेशों से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि यह अंतिम परिणाम के अधीन था। आक्षेपित सार्वजनिक नोटिस के लिए अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई चुनौती ***इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (भारत) बनाम पंजाब राज्य*** *(उपरोक्त)* में उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा कवर की गई है। इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

36. विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी उल्लेख किया कि याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें इस आधार पर प्रतिपादित कुछ निर्देश मांगे गए थे कि आक्षेपित का.ज्ञा.को चुनौती ***इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (भारत) बनाम पंजाब राज्य*** *(उपरोक्त)* में निर्णय के बाद भी बनी रही थी। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने 21.08.2020 के आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया, जो इस प्रकार है -

"2020 के इस विविध आवेदन संख्या 1439 में, निम्नलिखित निर्देशों के लिए प्रार्थना की जाती है:

"(क) वर्तमान आवेदन की अनुमति दें और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को दिनांक 06.12.2012 के कार्यालय ज्ञापन और 31.05.2013 के बाद की अवधि के लिए एआईसीटीई सार्वजनिक नोटिस को गुणागुण के आधार पर चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए निर्देश दें क्योंकि दिनांक 06.12.2012 का कार्यालय ज्ञापन और एआईसीटीई का सार्वजनिक नोटिस इस न्यायालय में चुनौती का विषय नहीं था जबकि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में 2013 से लंबित रिट याचिका, 06.12.2012 का कार्यालय ज्ञापन और एआईसीटीई का सार्वजनिक नोटिस विवाद का विषय हैं।

(ख) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को निर्देश देना होगा कि वह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (एएमआईई) में दिए गए स्थगन और प्रवेश के अनुसरण में 31.05.2013 के बाद नामांकन प्राप्त करने वाले छात्रों के बारे में गुणागुण के आधार पर निर्णय लें।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की सहायता से, हमने याचिका और उसमें संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

हमें इस विविध आवेदन पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता है। विविध आवेदन खारिज कर दिया गया है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।"

37. उपरोक्त के मद्देनजर, हम वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है। लंबित आवेदनों का भी निपटान कर दिया गया है।

न्या. विभु बाखरू,

न्या. तारा वितास्ता गंजू,

03 जुलाई 2024

'जीएसआर'

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*